सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि $\frac{\text{04 फाल्गुन, 1945 (श०)}}{\text{23 फरवरी, 2024 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1) स्वास्थ्य विभाग	-	-	-	02
(2) विधि विभाग	-	-	-	01
			कुल योग --	03

टी0बी0 की जाँच किट उपलब्ध कराना

22. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 जून, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''सूबे में डी0आर0-एम0डी0आर0 टी0बी0 की जाँच पर संकट, किट समाप्त'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के टी0बी0 के मरीजों की जाँच हेतु अस्पतालों में मौजूद टू नेट और सी0बी0 नेट मशीन का कार्टेज खत्म हो जाने के कारण पिछले 6 माह से अस्पतालों में टी0बी0 जाँच के लिये अधिष्ठापित आधुनिक जाँच मशीन बेकार पड़ी हुई है, जिसके कारण राज्य में टी0बी0 मरीजों की जाँच नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक टी0बी0 की जाँच किट अस्पतालों में उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विभागवार सीधी नियुक्ति कराना

23. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी) चिकित्सक शिक्षण सेवा नियमावली, 2017 के कंडिका 8(1) में प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के सृजित पदों पर 33 प्रतिशत सीमा तक सीधी नियुक्ति करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पदों पर शरीर रचना एवं शल्य तंत्र सहित सभी विभागों की अभीतक सीधी नियुक्ति नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नियमावली के नियम कंडिका 8(1) के आलोक में प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के सृजित पदों पर शरीर रचना एवं शल्य तंत्र सहित सभी विभागवार सीधी नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्बाधित कराने एवं अवैध कब्जा से मुक्त कराना

24. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''गैर पंजीकृत 2512 मठ-मंदिरों के स्वामित्व में 4322 एकड़ जमीन'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 35 जिलों के मठ-मंदिर की भूमि का ब्यौरा विभाग को दिया गया है, जिसमें 28672.44 एकड़ भूमि में 4321.64 एकड़ भूमि मठ का बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् से निर्बाधित नहीं है एवं बड़े हिस्से में अवैध कब्जा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य में 4321.64 एकड़ मठ-मंदिर के जमीन को निर्बाधित कराने एवं अवैध कब्जा से मुक्त कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 23 फरवरी, 2024 (ई0) ।

राज कुमार,
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 94(एल0ए0), 2023-24-डी0टी0पी0-550